(25)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
06/10/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम सवानिया के प०ह० सवानिया के खाता सं० 141 क्षा 161 पुराना में वादीगण के पूर्वज श्री शंभूलाल दर्ज है जिनके उत्तराधिकारी प्रवीण कुमार पिता शंभूलाल पाठक तथा वादी सं० 2 का ग्राम हरीशचन्द्र पिता शंभूलाल दर्ज है जिसे शुद्ध किया जाकर हरीकृष्ण पाठक पिता शंभूलाल दर्ज किया जाना आवश्यक है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अग्रांकी भूमिधरी फर्फत तहसीलदार घाटोल को नोटिस तामिल करवाये गये। प्रस्तुत नोटिस के जवाब में तहसीलदार घाटोल द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल नस्ती किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा जमाबंदी सम्वत 2014-17 ग्राम सवानिया प०ह० सवानिया खसरा सं० 429 के खाता सं० 141 नई व 161 पुरानी उक्त की खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 व जमाबंदी ग्राम बरोड़ प०ह० सवानिया खाता सं० 151 क्षा व 20 पुराना व उक्त की खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 प्रस्तुत की गई जिनमें वादीगण के नाम पवन कुमार पुत्र शंभूलाल व हरीशचन्द्र पुत्र शंभूलाल दर्ज है व अन्य सहखातेदारान की दर्ज है। अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा अपने शपथ कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार के जवाब का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त समस्त के अवलोकन के पश्चात निम्न तथ्य व सवाल निकल कर आते हैं जिनका सन्तोषप्रद जवाब प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। प्रार्थीगण के उक्त अशुद्ध नाम उक्त वादग्रस्त खाते में किस वर्ष या सैटलमेंट के दौरान दर्ज किये गये। क्या प्रार्थीगण के उक्त नाम अन्य कोई खाते हैं या राजस्व रिकार्ड है जिसमें जो प्रार्थीगण दर्ज करवाना चाह रहे हैं वो दर्ज हो। प्रार्थीगण द्वारा अपने सहखातेदारान से भी पक्षकारान नहीं बनाया गया तथा उनकी सहमति व गवाही भी उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं की है साथ ही तहसीलदार के जवाब से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रार्थीगण के उक्त नाम जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं वो किस वर्ष व किस प्रकार से दर्ज किये गये हैं। साथ ही प्रार्थीगण यह भी साबित करने में असमर्थ रहे हैं कि पवन कुमार पुत्र शंभूलाल व प्रवीण कुमार पाठक पुत्र शंभूलाल पाठक व हरीशचन्द्र पिता शंभूलाल व हरीकृष्ण पाठक पिता शंभूलाल पाठक एक ही व्यक्ति हैं। अतः प्रार्थना पत्र 136 LR Act में साबित नहीं कर पाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर फाइल इनाक्ट किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम ली। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। 06/10/2020 उपखण्ड अधिकारी	

Scanned by CamScanner